



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र, 1942 (श०)

संख्या- 177 राँची,

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2020 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

31 मार्च, 2020

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रादुर्भाव की रोकथाम हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुशंधान परिषद्, नई दिल्ली एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा टेस्टिंग किट, इलाज हेतु समाग्री एवं दवा की आपूर्ति हेतु चिन्हित कम्पनियों एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार एम0आर0पी0 पर अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से क्रय हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित में मनोनयन के संबंध में।

संख्या - 107 (HSN) -- विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रादुर्भाव की रोकथाम हेतु आवश्यक टेस्टिंग किट एवं इलाज हेतु आवश्यक अन्य सामग्रियों एवं दवाओं की खरीद किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

2. भारत सरकार के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुशंधान परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) की आवश्यक टेस्टिंग किट की आपूर्ति हेतु M/s My Lab Discovery Solutions Pvt. Ltd. को अधिकृत किया गया है । वर्तमान में आई0सी0एम0आर0 द्वारा इसी एजेंसी को टेस्टिंग किट आपूर्ति हेतु अनुमोदित किया गया है । तत्काल उनके स्तर से 100 पैकेट जिसमें 10000 टेस्ट हो सकेंगे, को क्रय किया जाना है, जिसका कुल मूल्य 01.12 करोड़ रु0 (जी0एस0टी0 सहित) है, जिसका इसी एजेंसी से क्रय किया जाना है ।

3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा M/s HLL Lifecare Ltd. को कोरोना वायरस (COVID-19) के इलाज हेतु सभी प्रकार के आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः झारखंड राज्य में भी सभी क्रय M/s HLL Lifecare Ltd. के माध्यम से किया जायेगा।
4. वर्तमान में आपात परिस्थिति को देखते हुए कई समाग्रियों का तत्काल क्रय किया जाना आवश्यक है। उक्त आलोक में यह भी प्रस्ताव है कि अन्य राज्यों के द्वारा अथवा भारत सरकार के प्रतिष्ठानों यथा, एम्स, नई दिल्ली/पी0जी0आई0 चंडीगढ़ के द्वारा दिये गये कार्यादेशों के अनुसार उसी विषिष्ट समाग्रियों को उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।
5. कई आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा अग्रिम भुगतान की मांग की जा रही है। अतः आपात स्थिति को देखते हुए आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यकतानुसार अग्रिम भुगतान किया जायेगा।
6. कंडिका-2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रस्तावों को वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित में मनोनित किया जाता है।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार (ले0एवं हक0), झारखंड, रांची को प्रेषित कर दिया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

डा0 नितीन कुलकर्णी,
सरकार के प्रधान सचिव
